बांस : आजीविका का महत्वपूर्ण संसाधन

अंकिता शर्मा

एक लोकप्रिय कहावत है कि अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए भीतर देखें। इसी प्रकार जब भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नए रास्ते खोलने की बात आती है, तो इसके लिए सामाजिक-आर्थिक संधारणीयता के उत्प्रेरक के रूप में एक प्रमुख संसाधन-बांस का कायाकल्प करना आवश्यक होगा।

दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक-बांस, कई तरह की जलवायु परिस्थितियों में जीवित रह सकता है और पनप सकता है। कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में उपयोग किये जाने वाले बांस की अनुकूलन क्षमता, कम लागत और आसान तथा बहु उपयोग इसे संसाधन-कुशल आजीविका के लिए एक आदर्श सामग्री बनाते हैं। बांस का उपयोग जीवन के कई क्षेत्रों में किया जाता है। कई लोग घरों के निर्माण के लिए बांस का उपयोग करते हैं। बांस का उपयोग हस्तशिल्प जैसे चटाई, फर्नीचर और टोकरियां, खिलौने, सजावटी सामान और उपकरण तथा औजार बनाने में किया जा सकता है। गरीब इंसान की लकड़ी के रूप में विख्यात बांस की उपयोगिता और जीवन शक्ति इसे एक अनमोल कृषि-वानिकी संसाधन बनाती है।

वैश्विक उद्योग रिपोर्ट 2019-2025 के अनुसार, बांस का वैश्विक बाजार 2018 में 68.8 बिलियन अमरीकी डॉलर था और 2019 से 2025 तक इसके 5.0 प्रतिशत की सीएजीआर (वार्षिक चक्रवृद्धि बढ़ोत्तरी दर) से बढ़ने की आशा है। आधुनिक प्रौद्योगिकियां बांस को टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता की लकड़ी के विकल्प के रूप में उपयोग करने के तरीके उपलब्ध कराती हैं।

भारत में, वन क्षेत्र और विविधता की दृष्टि से बांस एक महत्वपूर्ण पौधा है। यह देश भर में 13.96 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उगाया जाता है। बांस मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख रूप से फल-फूल रहा है। वास्तव में, अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के कुल बांस का 60 प्रतिशत उत्पादन होता है और भारत में अनुमानतः बांस की लगभग 125 स्वदेशी और 11 विदेशी किस्में पाई जाती हैं, जिससे देश अंतरराष्ट्रीय बांस निर्यात में एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया है।

हालांकि, विश्व में बांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भारत में, इस क्षेत्र में वांछित विकास नहीं हुआ है। पिछले कई वर्षों में, भारत बांस उत्पादों के निर्यात की तुलना में अधिक आयात कर रहा है। अनुमानों के अनुसार, भारत में बांस की खेती का केवल 6 प्रतिशत बाजार तक पहुंचता है। घरेलू बांस उद्योग इसकी मूल्य श्रृंखला में कई तरह के मुद्दों के कारण पीछे है, जिनमें बांस की खेती और कटाई के लिए नियामक तथा विधायी बाधाएं, इसकी खरीद में चुनौतियां, बांस के प्राथमिक उपयोगकर्ताओं में तकनीकी जानकारी की कमी और अपर्याप्त बाजार मांग शामिल हैं।

इस संदर्भ में, कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए, आत्मानिर्भर भारत और सबका साथ, सबका विकास के साथ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयासों से, बांस क्षेत्र एक उत्कृष्ट अवसर मिल पाया है।

बांस के बहुउद्देशीय और पर्यावरण के अनुकूल उपयोग ने इसे ग्रामीण आबादी के लिए एक सार्वभौमिक संसाधन बना दिया है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के तहत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया है। इसका

लेखिका इन्वेस्ट इंडिया की कार्यनीतिक निवेष्ठा अनुसंधान इकाई में सहायक उपाध्यक्ष हैं। ईमेल: ankita.sharma@investindia.org.in

उद्देश्य इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना, रोज़गार के अवसर सृजित करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा 2022-23 तक किसानों की आय को दोगुना करना, ग्रामीण कल्याण को बढ़ावा देना, खेती में कठिनाइयों को कम करना और किसानों तथा गैर-कृषि व्यवसायों में काम करने वालों की आय के बीच समानता लाना है। इसे संभव बनाने के लिए बांस की खेती को प्रोत्साहित करना और इसकी विपणन क्षमता को बढ़ाना देना महत्वपूर्ण है।

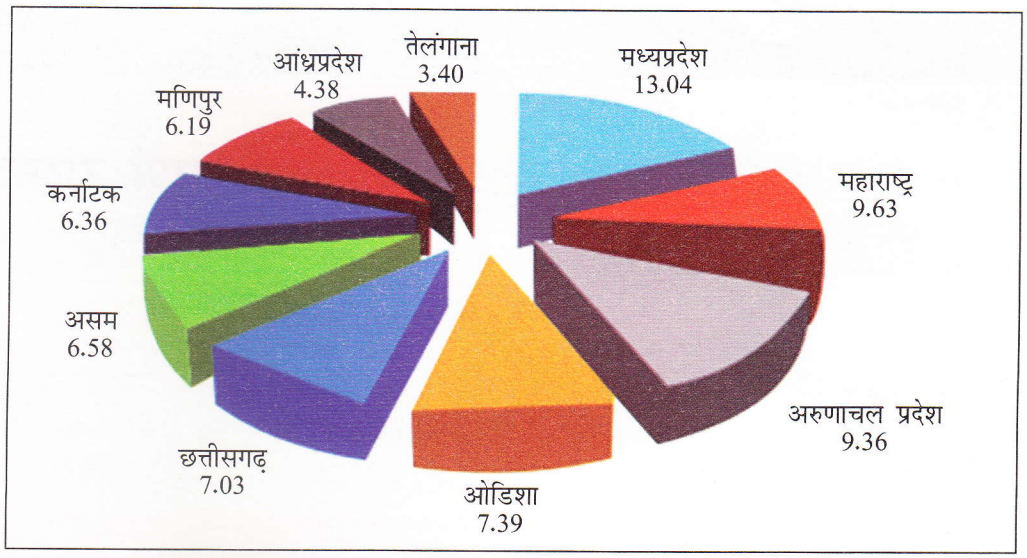

भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2019 के अनुसार राज्यवार वितरण

भारत में बांस उद्योग के तहत मांग वृद्धि के कारक

जनसंख्या तथा आय वृद्धि; बढ़ते निर्यात और अनुकूल जनसांख्यिकी; हाइब्रिड तथा आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज; कृषि तथा विविध फसलों के अनुकूल जलवायु; मशीनीकृत सिंचाई सुविधाएं; पूर्वी भारत में हरित क्रांति; भारत में मजबूत जनसांख्यिकीय तथा व्यापक श्रम शक्ति की उपलब्धता; संस्थागत ऋण में वृद्धि; न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि; परम्परागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसी नई परियोजनाओं की शुरुआत; किसान रथ (किसानों, एफपीओ और व्यापारियों के लिए मोबाइल ऐप); 200 से अधिक किसान रेल और उत्पाद परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना तथा खराब होने वाली वस्तुओं के लिए हवाई अड्डों पर कार्गो केंद्र, शीत भंडार और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के साथ-साथ कार्गो टर्मिनल गोदामों की सुविधा जैसी पहल।

भारत में बांस क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक बहु-हितधारक प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस दिशा में कार्यनीतिक पहल की हैं।

सितंबर 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नौ राज्यों- गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नगालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में वर्चुअल माध्यम से 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए लोगो भी जारी किया गया। बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र ने पूर्वोत्तर भारत में लोगों की आजीविका के स्रोत के लिए बांस उद्योगों के सतत विकास के वास्ते एक परियोजना तैयार की है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 4 पी 1000 पहल: सीओपी 14 यूएनसीसीडी 2019 में बंबूनॉमिक्स के माध्यम से जनजातीय परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की है। नीति आयोग ने उपलब्ध खाली भूमि संसाधनों के उपयोग और किसानों के लिए वित्तीय वहनीयता के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की अपनी तरह की पहल के तहत जुलाई 2020 में राज्य सरकारों को बांस और चंदन वृक्षारोपण अभियान चलाने का आग्रह किया।

इस तरह की पहल देश में बांस की संगठित खेती की संरचना ला सकती है और ग्रामीण आबादी के लिए अधिक आय की सुविधा प्रदान कर सकती है। इस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान हो सकता है।

भारत सरकार समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए बांस क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण आजीविका और बुनियादी ढांचे के विकास के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें जानकारी के प्रसार और खेती के उत्तम तरीकों के आदान-प्रदान के मजबूत तंत्र का निर्माण, तकनीकी मानकों में सुधार, क्षमता निर्माण और काश्तकारों का कौशल विकास, बांस स्टार्टअप में सहयोग और बांस उत्पादों के व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाना शामिल हैं। ■

राष्ट्रीय स्तर	
एमओईएफसीसी/पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	राष्ट्रीय बांस मिशन/विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
⇩	
क्षेत्रीय स्तर	
पूर्वोत्तर परिषद/बेंत और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र (सीबीटीसी)	पूर्वोत्तर प्रौद्योगिकी केंद्र (एनईसीटीएआर)/एआरसीबीएआर
⇩	
राज्य स्तर	
राज्य बांस मिशन/राज्य वन विभाग	राज्य उद्योग विभाग/कारोबार विकास एजेंसियां